न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 23/2019 जिला सीकर ।

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल।

1. रामचन्द्र पुत्र नाराणा
2. चिमना पुत्र नाराणा
3. खूमा पुत्र नाराणा
4. श्योनी पत्नि नाराणा
5. रघुनाथ सिंह पुत्र सेवाराम
6. छोटूसिंह पुत्र सेवाराम

समस्त जाति जाट निवासी सांवलोदा पुरोहितान तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र अमरूराम
2. छोटी देवी पत्नि लिखमाराम
3. शुभकरण पुत्र लिखमाराम
4. मीरा पुत्री लिखमाराम
5. तुलसी पुत्री लिखमाराम
6. कमला पत्नि लिखमाराम
7. सरस्वती पत्नि अमराराम
8. राकेश पुत्र अमराराम
9. मुखराम पुत्र अमराराम
10. गोरधन पुत्र अमराराम
11. संतरा देवी पत्नि अमराराम
12. गणेश राम पुत्र भगवाना
13. बनवारीलाल पुत्र भगवाना
14. नानूराम पुत्र खीवाराम
15. चांवली देवी पत्नी भगवाना
16. भंवरलाल पुत्र भगवाना
17. हरीराम पुत्र रामचन्द्र
18. रिछपाल पुत्र उदाराम
19. रामचन्द्र पुत्र लिछमण
20. रामेश्वर पुत्र उमाराम
21. अमराराम पुत्र लिखमराम (नाम हजफ)

    समस्त जाति जाट निवासी सांवलोदा पुरोहितान तहसील धोद जिला सीकर।
22. सुवटी देवी पत्नी दूदाराम (नाम हजफ)
23. रामकुंवार पुत्र लालूराम
24. भग्गी देवी पत्नी किशनाराम
25. जडाव पत्नी गणपत (नाम हजफ)
26. नानू पुत्र देवा (नाम हजफ)
27. रामेश्वर पुत्र धन्ना
28. भंवरलाल पुत्र दूदाराम
29. पूर्णमल पुत्र दूदाराम
30. बनवारी लाल पुत्र दूदाराम
31. गंगा पुत्री दूदाराम (नाम हजफ)
32. परमेश्वरी पत्नी दूदाराम (नाम हजफ)
33. रूकमणी पुत्री दूदाराम (नाम हजफ)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

34. बीरबल पुत्र लालूराम
35. सीताराम पुत्र लालूराम
36. मनोज कुमार पुत्र विमला (नाम हजफ)
37. हरीराम पुत्र किशनाराम
38. प्रहलाद पुत्र किशनाराम
39. श्याना पुत्र किशनाराम (नाम हजफ)
40. गीता पुत्री किशनाराम (नाम हजफ)
41. मूलचन्द पुत्र गोरधन (नाम हजफ)
42. मंगलाराम पुत्र गोरधन (नाम हजफ)
43. सांवरमल पुत्र गोरधन (नाम हजफ)
44. हरीराम पुत्र गोरधन
45. बोदूराम पुत्र गोरधन (नाम हजफ)
46. शंकर पुत्र मोहन
47. मोती पुत्र मोहन
48. महादेव पुत्र चन्दरा (नाम हजफ)
49. भोला पुत्र चन्दरा
50. मोती पुत्र चन्दरा
51. चूना पुत्र चन्दरा
    समस्त जाति हरिजन (मेघवंशी) निवासी सांवलोदा पुरोहितान तहसील धोद जिला सीकर
52. सरकार जर्ये तहसीलदार धोद जिला सीकर
53. प्रभूदयाल पिलानिया पुत्र श्री उदाराम पिलानिया जाति जाट निवासी सांवलोदा पुरोहितान तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी धोद दिनांक 05.03.2019 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक।
2. वकील रेस्पोडेंट 1,2,7,8,9,10,13,15,17 से 19 एवं 53 की ओर से श्री हरलाल सिंह।

निर्णय

दिनांक–17.08.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर के निर्णय दिनांक 05.03.2019 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 31.05.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार धोद ने जरिये पत्रांक भू0अ0/383 दिनाक 11.02.2019 के द्वारा ग्राम सांवलोदा पुरोहितान तहसील धोद जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 862, 854, 855, 851, 850, 849, 847, 845 एवं 846 कुल किता 9 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय वर्तमान मौका रिपोर्ट, नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 21.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम सांवलोदा पुरोहितान के खसरा नम्बर 862, 854, 855, 851, 850, 849, 847, 845 एवं 846 कुल किता 09 में से प्रस्तावित रकबे की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खाजेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी धोद के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स संख्या 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17 से 19 एवं 53 उपस्थित। रेस्पोंडेंट 14, 20 के अधिवक्ता दौराने बहस अनुपस्थित। शेष रेस्पोंडेंट्स बावजूद तामिल अनुपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट्स को सुने प्रश्नागत आदेश पारित किया गया हैं। तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है वह सरासर मौके के विपरीत है एवं जब रास्ता ही खसरा नम्बर 854 व 855 के उत्तरी और होता हुआ खसरा नम्बर 862 के पश्चिमी और दर्शित करा हुआ है तो अन्य रास्ता नही निकाला जा सकता नही कोई प्रावधान है। प्रार्थीयान की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। गिरदावर, पटवारी या तहसीलदार मौके पर गये ही नही न मौके को कोई नोटिस दिया गया। खसरा नम्बर 854 व 855 पर मौके पर प्रार्थीयान की फसल थी व अब काटी जा चुकी है। आदेश के समय भी फसल थी। अधीनस्थ न्यायालय को नया रास्ता कायम करने के अधिकार नही है। मौजूदा रास्ता जो वर्षो से प्रचलन में है एवं नक्शे में है के स्थान पर अन्य कोई रास्ता तथा कथित नोटिफिकेशन के आधार पर कायम नही किया जा सकता है। नया रास्ता कायम करने के प्रावधान धारा 251 ए में है न की उक्त परिपत्र में। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 ए पर कोई विचार न कर व निर्देश न देकर निर्णय देने में गंभीर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार के प्रस्ताव को अकाट्य प्रमाण मानकर व प्रभावित खातेदारो को नोटिस न देकर निर्णय देने में गंभीर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमो के प्रतीकूल होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 05.03.2019 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2019 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 27.05.2019 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।
6. रेस्पोंडेंट संख्यां 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17 से 19 एवं 53 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम सांवलोदा पुरोहितान तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 862, 854, 855, 851, 850, 849, 847, 845 एवं 846 के खातेदारो की भूमियों में से होकर प्रचलित रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 11.02.2019 को तहसीलदार धोद ने रिपोर्ट पटवारी हल्का सावलोदा पुरोहितान, वर्तमान मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा, जमाबन्दी की प्रति एवं ग्राम पंचायत सावंलोदा पुरोहितान का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी धोद को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी धोद ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2019 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेसपोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार धोद जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 11.02.2019 के अनुसार ग्राम सांवलोदा पुरोहितान तहसील धोद जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 862 रकबा 3.56 है0 मे से 0.10 है0, खसरा नम्बर 854 रकबा 2.79 है0 में से 0.02 है0, खसरा नम्बर 855 रकबा 2.52 है0 में से 0.05 है0, खसरा नम्बर 851 रकबा 0.73 है0 में से 0.02 है0, खसरा नम्बर 850 रकबा 0.70 है0 में से 0.02 है0, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.82 है0 में से 0.02 है0, खसरा नम्बर 847 रकबा 0.89 है0 में से 0.02 है0, खसरा नम्बर 845 रकबा 1.18 है0 में से 0.02 है0 एवं खसरा नम्बर 846 रकबा 1.38 है0 में से 0.05 है0 रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, जमाबंदी व ग्राम पंचायत सावंलोदा पुरोहितान की अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर तहसीलदार धोद द्वारा उपखण्ड अधिकारी धोद को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2019 पारित किया गया है। तहसीलदार धोद जिला सीकर द्वारा उपखण्ड अधिकारी धोद को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 11.02.2019 में भी अंकित किया गया है कि ग्राम सावंलोदा पुरोहितान में स्थित भूमि खसरा नम्बर 862, 854, 855, 851, 850, 849, 847, 845 एवं 846 में से प्रचलित रास्ता है। उक्त रास्ता मौके पर निर्बाध रूप से चालू अवस्था में है जो ढाणी पिलानिया को जाता है। पुराने प्रचलित रास्ते को राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016 के द्वारा दिये गये निर्देश की अनुपालना में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की गई है। भूमि के खातेदारी अधिकारो में कोई परिवर्तन नही किया गया है। काफी अर्से से खेती नही किये जाने के कारण तथा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि को किस्म परिवर्तन कर वार्षिक अभिलेखो में दर्ज किया जाना राजस्व अधिकारी का कर्तव्य है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई सारभूत विधिक त्रुटि कारित किया जाना नही पाया जाता है तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2019 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner